

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 2/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 23 फरवरी 2018

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 8/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 11 अगस्त 2017, का.आ.2599 (अ) दिनांक 11.08.2017 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका की क्रम सं. 3 के स्तंभ सं. 5 में मौजूदा प्रविष्टि को "अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-1/2018-CI(ii)]

(शैलेश कुमार)

अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई।
2. संयुक्त /अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई।
3. मैब्रिजस्टोन . इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नए .-43, फेस-II, एमआईडीसी चकन, गाँव-सवारदारी, तालुक-खेड़, पुणे-410501
4. मै. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लि., बीकेटी हाउस, सी/15, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
5. मै. जे. के. टायर & इंडस्ट्रीज़ लि., पेट्रोइट हाउस, 3, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
6. मैएमआरएफ लिमिटेड ., 114, ग्रीम्स रोड, चेन्नई-600006